# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0239 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/08/2026 21:58 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 14/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 21/08/2026
   **Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 15:10 बजे **Time To (समय तक):** 14:04 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/08/2026 **Time (समय):** 21:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/08/2026 21:58:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** PATAWAR GHAR BEEJAGUDHA AVM BEEJUDHA PANCHYAT BHAWAN KE, AAGE SITHIT BAD KE PED KE, NEECHE

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   **Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BADRAM GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GOPRAM GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | GUDHA BEEJA, SOJAT, PALI, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | GUDHA BEEJA, SOJAT, PALI, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANISH KUMAR MEENA | | पिता:HANUMAN MEENA | 1. HINGONIYA BUJURG,NIWAI,DATWAS,TONK ,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | रिश्वत राशि 15,000/- रूपये जिसमे से बरामद रिश्वत राशि 5,500/-रूपये | 15,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवा में,श्रीमान एडीशनल एसपी साहब एसीबी पाली II विषय – रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने की कारवाई के लिए रिपोर्ट। श्रीमान जी निवेदन है कि मै बादरराम पुत्र श्री गोपाराम जाति गुर्जर, उम्र 35 वर्ष, निवासी गुडा बीजा तहसील सोजत जिला पाली का निवासी हूं आज से करीब डेढ महीने पहले मैने गांव रायरा कला मे केश्र सिह व खुम सिह से 9-24 बीघा (सवा नौ बीघा) खेती की जमीन खरीदी थी जिसकी रजिस्ट्री मैने उसी समय करवा दी थी जिसकी म्यूटेशन भी भर रखा है जिस पर मैने तारबंदी करके कब्जा भी कर रखा है लेकिन इस जमीन की तरमीम कागजों मे होना बाकी है। मेरे इस जमीन की तरमीम के लिए मै दिनांक 12-08-2026 को रायरा कला ग्राम पंचायत के कैंप मे तहसीलदार से मिला और तरमीम के लिए फाईल व एप्लीकेशन दी तो उन्होने पटवारी मनीष कुमार को मेरी फाईल देकर आगे की कारवाई के लिए कहा। उसके बाद मे पटवारी जी ने मेरे पिताजी को बुलाकर तरमीम के लिए 20,000/-रूपये रिश्वत के मांगे। यह बात मेरे पिताजी ने मुझे बताई। मै मेरे सही काम के बदले पटवारी श्री मनीष कुमार को उसके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं और रिश्वत लेते हुए रंग हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरा व पटवारी जी मनीष कुमार का आपस मे रूपये पैसों का कोइ लेन देन उधार बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कारवाई करावे।प्रार्थी sd बादरराम गुर्जर s/o गोपाराम गुर्जर निवासी गुडा बीजा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान 306114 mobil no- दिनांक-14-08-2026 कार्यवाही एसीबी दिनांक 14-08-2026 वक्त 03-10 पीएम इस समय दर्ज रहे कि ब्यूरो मुख्यालय के टोल फ्री नंबर 1064 पर दिनांक 13-08-2026 को परिवादी श्री बादरराम द्वारा रिश्वत राशि मांग के संबंध मे की गई शिकायत के क्रम मे परिवादी श्री बादरराम से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देरावर सिंह ने टेलिफोन पर वार्ता कर परिवादी को शिकायत के क्रम मे आवश्यक अग्रिम कारवाई के लिये ब्यूरो कार्यालय हाजा पर रिपोर्ट लेकर उपस्थित आने के लिये कहा गया था, जिसके क्रम मे परिवादी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा लिखित रिपोर्ट मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से पूछताछ करने पर मामला लोकसेवक द्वारा रिश्वत राशि मांग करने का पाया जाने से परिवादी की रिपोर्ट पर आवश्यक अग्रिम कारवाई हेतु कार्यालय हाजा मे उपस्थित श्री मोहम्मद हनीफ पुलिस निरीक्षक को तलब कर परिवादी श्री बादरराम व पुलिस निरीक्षक का आपस मे परिचय करवाया गया। ततपश्चात परिवादी की रिपोर्ट पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर आवश्यक अग्रिम कारवाई हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात समय- 03-25 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मोहम्मद हनीफ परिवादी की रिपोर्ट व परिवादी श्री बादरराम को साथ लेकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष से मन पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष मे आया तथा परिवादी श्री बादरराम की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवाद से पूछताछ करने पर परिवादी ने रिपोर्ट मे अंकित तथ्य बताते हुए उक्त रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखित होना बताया तथा बताया कि मैने गांव रायरा कला मे खेती की जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री मैने उसी समय करवा दी थी तथा खरीदशुदा जमीन पर मैने तारबन्दी करके अपना कब्जा भी कर रखा है। मेरे इस जमीन का म्यूटेशन उसी समय खुल गया था तथा इस खरीदशुदा जमीन की तरमीम नही होने के कारण मैने मेरे जमीन की तरमीम करवाने के लिये कागज तैयार कर फाईल गांव के केम्प मे तहसीलदार साहब को दी तो तहसीलदार साहब ने मेरी फाईल तरमीम के लिये हल्का पटवारी मनीष जी को दी। उसके बाद पटवारी जी मेरे से मिले तथा उन्होने मेरे से मेरे खेत की तरमीम करने के लिए रिश्वत के रूप मे रूपये मांगे तथा साथ ही बताया कि इस जमीन की मेरे द्वारा जब रजिस्ट्री करवाई गई थी उस समय भी मेरे से पटवारी श्री मनीष कुमार ने रिश्वत के रूपये मांगे थे तथा उन्होने मेरे से किसी अन्य व्यक्ति के फोन नम्बर पर ओनलाईन रूपये लिये थे। एसओ पटवारी द्वारा परिवादी से पूर्व मे ऑनलाईन प्राप्त की गई रिश्वत राशि से संबंधित उक्त साक्ष्य की पुष्टि अनुसंधान के दौरान के दौरान स्पष्ट होगी। परिवादी ने स्वयं का बेंगलोर मे होलसेल इलेक्टिक सामान बेचने का व्यापार होना बताया तथा बताया कि पटवारी को मै उसके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि नही दूंगा तो वो मेरे जमीन की तरमीम नही करेगा तथा मेरे तरमीम के कागजों मे कोई न कोई गलती निकाल कर तरमीम के काम को अटका देगा। परिवादी की रिपोर्ट मे अंकित तथ्यों एवं पूछताछ से मामला लोकसेवक द्वारा रिश्वत राशि मांग करने से संबंधित होने से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आने के कारण प्रथमत रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मंगवाया जाकर परिवादी श्री बादरराम को मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने के लिए डिजिटल वायस रिकार्डर के संचालन की प्रक्रिया के

बारे मे समझाया गया। तत्पश्चात कार्यालय हाजा मे उपस्थित श्री भवानी सिह हैड कानि को मन पुलिस निरीक्षक के कक्ष मे तलब कर परिवादी व हैड कानि का आपस मे परिचय करवाया तथा दोनो के मोबाईल नंबर आदान प्रदान करवाये। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि आज पटवारी जी किसी काम से बाहर गये हुए है तथा दिनांक 15 व 16 अगस्त को अवकाश होने के कारण पटवारी जी पटवार घर मे नही मिलेंगे तथा अब पटवारी जी मुझे सोमवार को कार्यालय दिवस पर पटवार हल्का रायरा या पटवार हल्का बींजागुडा मे मिलेंगे। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा हैड कानि श्री भवानी सिह को निर्देशित किया कि दिनांक 17-08-2026 सोमवार को परिवादी श्री बादरराम से संपर्क कर पटवारी श्री मनीष कुमार के पटवार हल्का मे आने के बारे मे मालूमात कर परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर लावे। तत्पश्चात परिवादी श्री बादरराम को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत देकर सकूनत के लिए वक्त 05-00 पीएम पर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक- 17-08-2026 को समय- 09-40 एएम पर दर्ज रहे कि श्री भवानी सिह हैड कानि ने मन मोहम्मद हनीफ पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार आज दिनांक को मैने परिवादी श्री बादरराम से जरिये वाटसअप काल वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि दिनांक 15-08-2026 को मै सोजत रोड गया था जहां पर अचानक ही मुझे पटवारी जी मिल गये तथा उन्होने मेरे तरमीम के बारे मे वार्ता की और उनके द्वारा पूर्व मे 20000/-रूपये मांगे गये थे जिसके संबंध मे कम करने का मेरे द्वारा हाथाजोडी करने पर उन्होने 17000/-रूपये रिश्वत राशि की हामी भरी तथा रिश्वत राशि संबंधी वार्ता कर लेने से अब और मै पटवारी के पास रिश्वत राशि के संबंध मे वार्ता करने जाउंगा तो पटवारी मनीष कुमार को शक हो जायेगा इसलिए अब मै मिलने जाउंगा तो उनको उनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि मे से कुछ रूपये मांग सत्यापन के दौरान देकर मै रिश्वत राशि 17000/-रूपयों से थोडी और कम करवाने की वार्ता करूंगा तो उनको मेरे पर कोई शक नही होगा। साथ ही बताया कि आज कार्यालय दिवस है तथा पटवारी जी आज रायरा कला या बीजागुडा आयेंगे जिनसे आज रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन आज संभव है जिस पर मैने परिवादी को बताया कि मै पाली से आ रहा हूं मेरे आने के बाद ही रिश्वत राशि मांग की वार्ता करने के लिए पटवारी जी से मिलने के लिए जाना। श्री भवानी सिह हैड कानि के बताये अनुसार हैड कानि को निदेशित किया कि परिवादी के बताये उपरोक्त तथ्यों के क्रम मे रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय परिवादी द्वारा दी पटवारी श्री मनीष कुमार को दी जाने वाली रिश्वत राशि के नोटों की फोटो परिवादी के मोबाईल से खींचकर परिवादी के मोबाईल मे सेव रखवावे जो परिवादी से आईंदा प्राप्त कर प्रिंट आउट निकालकर शामिल कारवाई की जावेगी। ततपश्चात श्री भवानी सिह हैड कानि को रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कारवाई के लिए कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर मय नये मैमोरी कार्ड श्री भवानी सिह हैड कानि को सुपुर्द कर परिवादी श्री बादरराम से संपर्क कर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर लाने हेतु रायरा कला व बींजागुडा के लिए वक्त 10-05 एएम पर रवाना किया। तत्पश्चात समय- 03-30 पीएम पर श्री भवानी सिह हैड कानि उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन मोहम्मद हनीफ पुलिस निरीक्षक के समक्ष कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर बंद हालात मे मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार आज दिनांक 17-08-2026को ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर ग्राम बींजागुडा के समीप पहूंचा तथा परिवादी श्री बादरराम से जरिये मोबाईल संपर्क किया तो परिवादी श्री बादरराम ने मुझे गांव के बाहर गोपनीय स्थान भैरूजी के मंदीर जाने वाले रास्ते पर बुलाया जहां पर मै पहूंचा तो परिवादी बादरराम उपस्थित मिला। तत्पश्चात परिवादी ने पूर्व मे बताये अनुसार मांग सत्यापन के समय मनीष् कुमार पटवारी को दी जाने वाली राशि पांच हजार रूपये साथ लेकर आना बताया। परिवादी के पास उक्त पांच हजार राशि के नोटों की फोटो परिवादी के मोबाईल से खिंचवाई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री बादरराम को कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर जिसमे नया मैमोरी कार्ड डालकर चालू कर आवश्यक समझाईस कर पटवारी मनीष कुमार से मिलकर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर लाने हेतु रवाना किया तथा मन हैड कानि गोपनीय स्थान पर अपनी उपस्थिती छुपाते हुए मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री बादरराम गोपनीय स्थान पर मन हैड कानि के समक्ष उपस्थित आया जिस पर परिवादी से पूर्व मे दिया हुआ कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा। तत्श्चात परिवादी ने बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर पटवार घर बींजा गुडा पहूंचा जहां पर मुझे मनीष कुमार पटवारी उपस्थित मिले। जिनसे मैने मेरे काम के बारे मे पुछा तो मेरे खदीद शुदा जमीन खसरा नंबर 557 भूमि का बंटवारा व तरमीम करवाने एवं ग्राम बीजागुडा मे ही एक अन्य भूमि की खरीद करने पर म्यूटेशन भरवाने संबंधी पटवारी श्री मनीष कुमार से वार्ता की तो पटवारी जी ने मुझे मेरी खरीदशुदा भूमि की तरमीम करवाने के लिए पूर्व मे तय की गई रिश्वत राशि अभी तक नही देने का तकाजा किया तो मैने पटवारी को उसी समय 5000/-रूपये कुल पांच पांच सौ के दस नोट गिन कर दिये तो पटवारी जी ने मुझे पूरे रूपये साथ ही देने व आन लाईन करने का बोला तो मैने उन्हे बाकी के रूपये नगद देने का बोला। तत्पश्चात मैने पटवारी श्री मनीष कुमार से उनके द्वारा पूर्व मे मांगी गई रिश्वत राशि 20000/-रूपये से कम करके 17000/-रूपये देना तय किया था लेकिन तय की गई 17000/-रूपये रिश्वत राशि को भी मांग सत्यापन के दौरान मैने कम करने के लिए कहा तो उन्होने ना नूकूर करते हुए अंत मे 15000/-रूपये रिश्वत राशि के देना तय किया। तत्श्चात मन हैड कानि ने उक्त मांग सत्यापन वार्ता के संबंध मे आपको जरिये वाटसअप काल अवगत करवाया तथा परिवादी श्री बादरराम को रिश्वत राशि की व्यवस्था करने हेतु गांव

बीजागुडा ही छोडते हुए दिनांक 18-8-2026 को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने व अब तक की कारवाई की गोपनीयता रखने की हिदायत दी। तत्पश्चात मै गांव बीजागुडा से रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित आया हूं। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वायस रिकार्डर को चालू कर सुना तो हैड कानि श्री भवानी सिह के बताये तथ्यों की ताईद होते हुए रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये तथा अग्रिम ट्रेप का आयोजन आईंदा करने का निर्णय लिया गया। ट्रेप कारवाई आईंदा किया जाना सुनिश्चित होने से डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमे रिश्वत राशि मांग की वार्ता रिकार्ड है को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षित अपने कब्जे मे रखा गया। जिसकी आईंदा गवाहान एवं परिवादी के रूबरू फर्द ट्रांसिक्रप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की जावेगी। त्तपश्चात समय- 04-30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का वायस रिकार्डर अपने कब्जे से निकालकर चालू कर रिकार्डर को कार्यालय के लैपटाप से कनेक्ट कर रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड मांग सत्यापन वार्ता को लैपटाप मे सेव करवाया तथा रिकार्डर लैपटाप से डिसकनेक्ट कर रिकार्डर मे से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर मैमोरी कार्ड को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा तथा लैपटाप मे सेव करवाई गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबंधी वार्ता को सुन सुन कर वार्ता के शब्दों का टंकण कप्यूटर के माध्यम से करने व टंकण की साफटकापी कम्प्यूटर मे सेव रखने के लिए श्री पूनाराम कानि न 165 को निर्देशित किया। तत्पश्चात दिनांक- 18-08-2026 को समय- 05-20 पीएम पर पूर्व के निर्देशानुसार परिवादी श्री बादरराम कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा ट्रेप कारवाई का आयोजन होने से स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से नगर निगम पाली को जरिये तहरीर गवाह की तलबी की गई थी जो नगर निगम पाली से गवाह उपस्थित आये जिनका परिचय पूछने पर अपना अपना नाम रिषभ जोशी पुत्र श्री देवेंद्र कुमार, जाति ब्राहमण, उम्र 31 साल निवासी मकान नंबर 152 एम शांतिलाल मेहता स्कूल के पीछे टैगोर नगर पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली राजस्थान हाल नगर नियोजन सहायक नगर निगम पाली व भंवर सिह पंवार पुत्र श्री सूरजपाल सिह उम्र 49 साल, जाति रावणा राजपूत निवासी मकान नंबर 1169 दधीमती स्कूल के पास राजेंद्र नगर पाली पुलिस थाना औधोगिक क्षैत्र पाली जिला पाली राजस्थान हाल कनिष्ठ सहायक नगर निगम पाली होना बताया। दोनो गवाहान व उपस्थित परिवादी श्री बादरराम का आपस मे परिचय करवाया तथा परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करवाया जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश दोनो गवाहान को सुनाये गये। तत्पश्चात दोनो गवाहान को परिवादी श्री बादरराम की रिपोर्ट पर की जाने वाली गोपनीय कारवाई मे बतौर स्वतंत्र गवाह रहने के लिए कहने पर दोनो अपनी अपनी मौखिक सहमति दी तथा परिवादी की रिपोर्ट पर अपने अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। ततपश्चात परिवादी श्री बादरराम ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि कल दिनांक 17-08-2026 को आपके कार्यालय के श्री भवानी सिह हैड कानि गांव बीजागुडा आये थे जिन्होने मुझे डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर दिया तथा मै बीजागुडा पटवार घर मे पटवारी श्री मनीष कुमार से मिलने गया तथा रिश्वत राशि मांग के संबंध मे व मेरे काम के संबंध मे पटवारी जी से वार्ता की तथा मांग सत्यापन के समय पांच हजार रूपये पटवारी जी को दिये जो उन्होने मेरे से लेकर गिनकर अपने पास रखे। पटवारी जी के पास जाने से पहले इन नोटों की फोटो मैने मेरे मोबाईल मे खिंची थी जो मेरे मोबाईल मे सेव है। ततपश्चात परिवादी के बताये अनुसार परिवादी के मोबाईल मे सेव मांग सत्यापन के समय दिये गये नोटों के फोटो कारवाई मे साक्ष्य होने से परिवादी के मोबाईल से नोटों के फोटो का प्रींट निकालकर प्रींट पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कारवाई किया गया। ततपश्चात परिवादी ने बताया कि पटवारी श्री मनीष कुमार से जरिये वाटसअप काल मेरे से वार्ता हुई थी उसकी रिकार्डिंग मेरे मोबाईल मे सेव है जिसे भी मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया तो मोबाईल मे आडियो रिकार्डिंग से पटवारी द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट प्रकट होता है। तत्पश्चात परिवादी को निर्देशित किया कि मोबाईल मे रिकार्ड आडियो वार्ता को प्रथक से पैन ड्राईव मे डालकर पेश करे तथा इस आडियो रिकार्डिंग पेश करने से संबधित परिवादी श्री बादरराम से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) का प्रमाण पत्र प्राप्त कर शामिल कारवाई किया जावेगा। तत्पश्चात श्री पूनाराम कानि ने पूर्व के निदे्रशानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को पूर्व मे सुन सुन कर हुबहू टंकण कर कार्यालय हाजा के लेपटाप मे सेव की हुई है जो मन पुलिस निरीक्षक को वार्ता के टंकण की हार्ड कापी व लैपटाप मे सेव साफट कापी प्रस्तुत की। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसकि्प्ट तैयार करना शेष होने से फर्द तैयार करने का निर्णय लिया गया। पटवारी श्री मनीष कुमार द्वारा परिवादी से पूर्व मे 20000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग करने से परिवादी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे 20000/-रूपये रिश्वत राशि मांगने का अंकन किया है लेकिन बाद मे रिश्वत राशि के कम करने के बारे मे परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 15000/-रूपये रिश्वत राशि देना तय हुआ जिसमे से पांच हजार रूपये मांग सत्यापन के दौरान पटवारी श्री मनीष कुमार द्वारा प्राप्त किये गये तथा शेष राशि दस हजार रूपये बाद मे देना तय हुआ। तत्पश्चात समय- 06-05 पीएम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाना शेष होने से उक्त रिकार्डिंग वार्ता को पूर्व मे शब्द ब शब्द टंकण हेतू श्री पूनाराम कानि को निर्देशित किया गया था जिसके क्रम मे श्री पूनाराम कानि ने उक्त रिकार्ड वार्ता का शब्द व शब्द टंकण कर कार्यालय हाजा के लैपटाप मे सेव किया हुआ है तथा उक्त वार्ता रिकार्ड का मूल मैमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित है। तत्पश्चात उपस्थित गवाह व परिवादी के रूबरू उक्त माग सत्यापन वार्ता के टंकणीय शब्दो का मिलान कार्यालय के अन्य लैपटाप से मैमोरी कार्ड कनेक्ट कर साफटवेयर की मदद से

लैपटाप के इनबिल्ड स्पीकर से सुन सुन कर समझ समझ कर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब करना प्रारंभ किया गया। जो वक्त 7-55 पीएम तक पूर्ण कर फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। इस वार्ता को दो पैन ड्राईव मे डालकर डब कापी तेयार की गई। मांग सत्यापन वार्ता की हेस वेल्यु निकाली गई तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत प्रमाण पत्र मन पुलिस निरीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को लैपटाप से निकालकर प्लास्टिक की डिब्बी मे डालकर कपडे की थैली मे शील्ड किया गया तथा दोनो डब पैन ड्राईव को खुली हालत मे रखा जाकर कब्जा ब्यूरो लिया जाकर मन पुलिस निरीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित रखा। तत्पश्चात समय- 08-05 पीएम पर स्वतंत्र गवाह को कल दिनांक 19-08-2026 को आयोजित ट्रेप कारवाई हेतु सुबह जल्दी 08-00 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के लिए पाबंद कर गोपनीयता की हिदायत कर अपनी अपनी सकूनत के लिए रवाना किया गया। ततपश्चात परिवादी श्री बादरराम को पटवारी श्री मनीष कुमार को दी जाने वाली रिश्वत राशि दस हजार रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आने की हिदायत कर अपनी सकूनत को रवाना किया गया तथा समस्त ब्यूरो स्टाफ को भी कल  दिनांक 19-08-2026 को सुबह जल्दी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के पाबंद किया गया। समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये गये। ततपश्चात दिनांक- 19-08-2026 को समय- 09-20 एएम पर पूर्व के निर्देशानुसार कार्यालय हाजा का समस्त स्टाफ उपस्थित है तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री ऋषभ जोशी व श्री भंवर सिह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये तथा परिवादी श्री बादरराम भी पूर्व के निर्देशानुसार कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री बादरराम पुत्र श्री गोपाराम जाति गुर्जर उम्र 35 साल निवासी ग्राम बीजा गुडा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान द्वारा श्री मनीष कुमार पटवारी, पटवार मंडल खोडिया तहसील सोजत जिला पाली को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि दस हजार रूपये जो 500-500 सौ रूपये के कुल 20 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के अपने पास से निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिश्वत राशि के दस हजार रूपये 500-500 रूपयो के 20 नोटों के नंबर का विवरण निम्नानुसार है क्रम संख्यां - नोट का विवरण-  नोटों के सीरियल नंबर 1 - एक नोट पांच सौ रूपये का 1WQ966224,  2 -  एक नोट पांच सौ रूपये का 3CW254286,  3 - एक नोट पांच सौ रूपये का 0KB761765,  4  - एक नोट पांच सौ रूपये का 5NV774748,  5 - एक नोट पांच सौ रूपये का 5SR381187,  6  - एक नोट पांच सौ रूपये का 9UL074350,  7 -  एक नोट पांच सौ रूपये का 6EN819555,  8 - एक नोट पांच सौ रूपये का 9WQ294431,  9 - एक नोट पांच सौ रूपये का 9PS602067, 10 - एक नोट पांच सौ रूपये का 6GB476815, 11 - एक नोट पांच सौ रूपये का 6PR497090, 12 - एक नोट पांच सौ रूपये का 6VA092781, 13 - एक नोट पांच सौ रूपये का 3SM632459, 14 - एक नोट पांच सौ रूपये का 5GU580971, 15 - एक नोट पांच सौ रूपये का 9QG254401, 16 - एक नोट पांच सौ रूपये का 0DM964077, 17 - एक नोट पांच सौ रूपये का 1AQ334075,  18 - एक नोट पांच सौ रूपये का 2EF180094, 19 - एक नोट पांच सौ रूपये का 3RQ998982, 20 - एक नोट पांच सौ रूपये का 3SH981323, उपरोक्त नोटों के फिनोफथलीन पाउडर लगवाने हेतु कार्यालय हाजा के मालखाना से श्रीमती कौशल्या महिला कानि नम्बर 314 से फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाया जाकर श्रीमती कौशल्या महिला कानि को परिवादी श्री बादरराम द्वारा पेश किये गये रश्वित राशि के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटों पर उक्त फिनोफथलीन पाउडर के डिब्बे मे से फिनोफथलीन पाउडर निकलवाकर अखबार पर रखवाया जाकर श्रीमती कौशल्या महिला कानि से ही रिश्वत राशि के नोटों पर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री बादरराम की जामा तलाशी गवाह श्री भंवर सिह से लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपति जनक राशि, वस्तु एवं दस्तावेज इत्यादी नही रहने दिए गये तथा परिवादी के पास उसका मोबाईल उसके पास ही रहने दिया गया। तत्पश्चात फिनोफथलीन पाउडर लगे रिश्वत राशि 10,000/- रूपये के नोटों को परिवादी श्री बादरराम के पहने हुए जिन्स पेंट के आगे की बांयी जेब मे श्रीमती कौशल्या महिला कानि से ही रखवाये गये। परिवादी श्री बादरराम को समझाईस की गई कि रिश्वत राशि को हाथ नही लगावे तथा एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकाल कर उसे देवे, राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नही मिलावे अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोडकर नमस्कार/अभिवादन करे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि श्री मनीष कुमार पटवारी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद वह रिश्वत राशि को कहा रखता है अथवा छुपाता है इस बात का विशेष ध्यान रखे। रिश्वत राशि श्री मनीष कुमार पटवारी द्वारा प्राप्त करने के पश्चात मन मोहम्मद हनीफ पुलिस निरीक्षक या ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर
पर काल या मिस काल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स मे से प्लास्टिक का पारदर्शी गिलास मंगवाया जाकर गिलास मे साफ पानी भरवाया गया तथा उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घौल तैयार करवाया जाकर गवाह व परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरिन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन घोल मे रिश्वत राशि के नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाली श्रीमती कौशल्या महिला कानि के हाथों की अंगुलियों व अंगुठें को घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन ने भी गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया तत्पश्चात सभी हाजरिन को समझाईस की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के नोटों के हाथ लगाने

और सोडियम कार्बोनेट के घोल मे हाथ धुलवाने पर घौल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे मे सभी को भली भांति समझाया गया। तत्पश्चात गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोटों के फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा श्रीमती कौशल्या महिला कानि से पुन कार्यालय हाजा के मालखाना मे रखवाया गया तथा श्रीमती कौशल्या महिला कानि को इस ट्रेप कार्यवाही से अलग रखा जाकर कार्यालय हाजा पर ही निगरानी हेतु छोडा गया। तत्पश्चात समस्त् ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथों व ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग मे ली जाने वाली समस्त सामग्री आदि को भी साफ पानी व साबुन से दो दो बार धुलवाया जाकर पुन ट्रेप बाक्स मे रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी के अलावा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस मे जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु, दस्तावेज, एवं राशि आदि नही रहने दी गई। मन पुलिस निरीक्षक, ब्यूरो दल के सदस्यों ने अपना अपना विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल एवं गवाहान का अपना अपना मोबाईल स्वयं के पास रहने दिया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत राशि लेन देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। इस कार्यवाही की फर्द पेश्कशी रिश्वत राशि सुपुर्दगी एवं दृ्ष्टांत फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर प्रथक से तैयार कर फर्द मे विस्त्रत विवरण अंकित कर फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय- 10-10 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मोहम्द हनीफ, हमराह ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मणदान एएसआई, दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री बादरराम एवं कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड के मन पुलिस निरीक्षक के निजी वाहन एवं शेष ब्यूरो स्टाफ श्री मनोहर लाल एएओ, श्री भवानी सिह हैड कानि, श्री कुलदीप सिह कानि व श्री प्रमोद सिह कानि अन्य ब्यूरो स्टाफ के निजी वाहन से एवं श्री देरावर सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री गोविंद वर्मा एएसआई, श्री पूनाराम कानि व श्री नारायण सिह चालक जरिये सरकारी वाहन बोलेरो व लैपटाप, प्रीन्टर ट्रेप बाक्स, विडियो रिर्काडिंग हेतु कार्यालय हाजा का मोबाईल मय नये मैमोरी कार्ड के एवं ट्रेप कारवाई से संबंधित अन्य आवश्यक सामग्री/उपकरण सहित के कार्यालय हाजा से सोजत रोड की तरफ रवाना हुऐ। तत्पश्चात समय- 10-35 एएम पर दर्ज रहे कि उपरोक्त समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्य अपने अपने वाहनों मे ब्यूरो कार्यालय पाली से रवाना होकर जाडन के आस पास पहूंचे ही थे कि पटवारी श्री मनीष कुमार का फोन परिवादी के मोबाईल पर आया तो परिवादी ने पटवारी के फोन आने की बात बताई जिस पर समस्त वाहनों को रोड पर ही एकांत स्थान पर रूकवाकर अन्य वाहन से श्री भवानी सिह हैड कानि को तलब कर मन पुलिस निरीक्षक के वाहन मे बैठाकर हमराह कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर रिकार्डर मे नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी से एसओ श्री मनीष कुमार के मोबाईल पर वार्ता करने के लिए वाटसअप काल करवाया तो पटवारी का फोन बिजी होने से वार्ता नही हो पाई तथा थोडी देर बाद ही पटवारी मनीष कुमार का वाटसअप काल परिवादी के मोबाईल पर आया तो परिवादी बादरराम ने वार्ता कर उसकी उपस्थिती के बारे मे पुछा तो पटवारी मनीष कुमार ने आज दिनांक को कंही बिजी होना तथा दिनांक 20-08-2026 को भी बिजी होने से नही मिलना बताया। मोबाईल पर हुई वार्ता के तथ्यों से आज दिनांक को रिश्वत राशि लेन देन की कारवाई संभव नही होने से समस्त ट्रेप दल के सदस्य अपने अपने वाहनों एवं हमराह सामग्री/ उपकरणों सहित उस स्थान से बयूरो कार्यालय पाली के लिए रवाना हुए। समस्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात समय- 11-15 एएम पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा मन पुलिस निरीक्षक व हमराह समस्त ट्रेप दल के सदस्यों एवं हमराह वाहनों एवं आवश्यक सामग्री/उपकरण सहित कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। तत्पश्चात परिवादी श्री बादरराम के पहनी हुई पेंट की बांयी जेब मे फिनोफथलीन पाउडर युक्त रखवाई गई रिश्वत राशि को महिला कानि श्रीमती कौशल्या से निकलवाई जाकर एक लिफाफे मे डालकर मन पुलिस निरीक्षक की कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखवाई गई तथा कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमे परिवादी व मनीष कुमार पटवारी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता रिकार्ड है उक्त वार्ता को कार्यालय के लैपटाप मे कापी करवाया जाकर इस वार्ता के टंकण हेतु श्री पूनाराम कानि को निर्देशित किया गया तथा डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा। ततपश्चात परिवादी श्री बादरराम ने उसके मोबाईल पर पटवारी श्री मनीष कुमार से हुई वार्ता की आडियो रिकार्डिंग एक पैन ड्राईव मे डालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश की जो बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा परिवादी श्री बादरराम द्वारा पेन ड्राईव पेश करने के संबंध मे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त कर शामिल कारवाई किया गया। तत्पश्चात समय- 01-30 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को आगामी आदेश तक मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने को पाबंद कर तथा तलब किये जाने पर शीघ्र ही ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने एवं गोपनीयता की हिदातय कर अपनी सकूनत को रवाना किया गया। तत्पश्चात समय- 01-35 पीएम पर परिवादी श्री बादरराम को गोपनीयता की हिदायत व पटवारी श्री मनीष कुमार से मोबाईल पर हुई वार्ता के क्रम मे रिश्वत राशि लेन देन की कारवाई के लिए दिनांक 21-08-2026 को सुबह 10-00 एएम पर अपने गांव बीजागुडा मे उपस्थित रहने तथा गोपनीय स्थान पर मन पुलिस निरीक्षक से संपर्क करने की हिदायत एवं पटवारी श्री मनीष कुमार की उपस्थिती के बारे मे भी जानकारी रखने की हिदायत कर अपनी सकूनत के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक- 21-08-2026 को समय-

09-10 एएम पर कार्यालय हाजा का समस्त स्टाफ कार्यालय हाजा पर उपस्थित है तथा पाबंद शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान भी कार्यालय हाजा पर उपस्थित है। तत्पश्चात समय- 09-20 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मोहम्द हनीफ ने दिनांक 19-08-2026 को परिवादी श्री बादरराम की जेब से फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि निकालकर कागज के लिफाफे मे डालकर मन पुलिस निरीक्षक के कब्जे मे कार्यालय हाजा की अलमारी मे सुरक्षित गई थी जो लिफाफे मे ही रखी हुई श्रीमती कौशल्या महिला कानि से निकलवाई जाकर महिला कानि के कब्जे मे ही रखवाई गई। ततपश्चात मन पुलिस निरीक्षक मोहम्मद हनीफ हमराह ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मणदान एएसआई, श्री भवानी सिह हैड कानि मय कार्यालय हाजा डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री ऋषभ जोशी व श्री भंवर सिह के मन पुलिस निरीक्षक के निजी वाहन से एवं अन्य ब्यूरो स्टाफ श्री मनोहर लाल एएओ, श्री गोविंद वर्मा एएसआई, श्रीमती कौशल्या महिला कानि, श्री कुलदीप सिह कानि व श्री प्रमोद सिह कानि व श्री पूनाराम कानि व लैपटाप, प्रीन्टर ट्रेप बाक्स, विडियो रिर्काडिंग हेतु कार्यालय हाजा का मोबाईल मय नये मैमोरी कार्ड के एवं ट्रेप कारवाई से संबंधित अन्य आवश्यक सामग्री/उपकरण सहित अन्य ब्यूरो स्टाफ के निजी वाहन से एवं पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप मे श्री देरावर सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री नारायण सिह कानि चालक जरिये सरकारी वाहन बोलेरो सहित कार्यालय हाजा से गांव बीजागुडा के लिए रवाना हुऐ। तत्पश्चात समय- 11-30 एएम पर उपरोक्त फिकरा का उपरोक्त ट्रेप दल के समस्त सदस्य हमराह वाहनों से गांव बीजागुडा के बाहर गोपनीय स्थान पर पहूंचे जहां पर पूर्व मे निर्देशानुसार परिवादी श्री बादरराम उपस्थित आया तत्पश्चात श्री मनीष कुमार पटवारी की उपस्थिती की जानकारी के लिए परिवादी श्री बादरराम से पटवारी श्री मनीष कुमार के मोबाईल पर वार्ता करवायी गई तो पटवारी श्री मनीष कुमार ने घंटे भर बाद पटवार घर बीजागुडा मे आने का कहा। इस वार्ता को भी कार्यालय हाजा के डिजिटल वायस रिकार्डर से रिकार्ड करवाया गया। तत्पश्चात एसओ के पटवार घर बीजागुडा मे आने तक गोपनीय स्थान पर इंतजार मे मुकीम रहे। तत्पश्चात समय- 01-41 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने एसओ की उपस्थिती के बारे मे जानकारी ज्ञात करने के लिए परिवादी श्री बादरराम के मोबाईल से एसओ के मोबाईल पर वाटसअप काल से वार्ता करवायी तो एसओ ने गांव बीजागुडा पटवार घर मे पहूंचना बताया तथा परिवादी से कितनी देर मे आने का कहा तो परिवादी ने बीजागुडा पटवार घर पर पांच दस मिनट मे पहूंचने का कहा। उक्त वार्ता को भी कार्यालय हाजा के डिजिटल वायस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड करवाया गया। तत्पश्चात फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि का लिफाफा हमराह महिला कानि श्रीमती कौशल्या को कार्यालय हाजा से रवाना होते समय संभलाया गया था जो हमराह महिला कानि श्रीमती कौशल्या के पास से निकलवाया जाकर परिवादी श्री बादरराम की जामा तलाशी हमराह गवाह श्री भंवर सिह से लिवाई जाकर परिवादी के पास अपने मोबाईल के अलावा कोई संदिग्ध वस्तु या राशि नही रहने दी गई। तत्पश्चात महिला कानि श्री मती कौशल्या से ही लिफाफे मे से फिनोफथलीन पाउडर युकत 10000/-रूपये के नंबरी नोटों को परिवादी श्री बादरराम के पहनी हुई पेंट की आगे की बांयी जेब मे रखवाये गये तथा लिफाफे को जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात महिला कानि श्रीमती कौशल्या को इस कारवाई से अलग रखा जाकर ब्यूरो कार्यालय पाली के लिए रवाना किया गया। ततपश्चात परिवादी अपनी मोटर साईकिल से रिश्वत राशि लेन देन हेतु बीजागुडा पटवार घर के लिए रवाना हुआ तथा मन पुलिस निरीक्षक हमराह समस्त ट्रेप दल के सदस्यों सहित परिवादी के पीछे पीछे पटवार घर बीजागुडा के लिए रवाना हुए। पटवार घर से थोडी दूर पहले परिवादी को रूकवाया जाकर रिश्वत राशि लेन देन के वक्त की वार्ता रिकार्ड करने के लिए कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के वक्त 01-58 पीएम पर परिवादी को सुपुर्द कर पटवार घर बीजागुडा की तरफ रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण दान एएसआई व श्री भवानी सिह हैड कानि पटवार घर से थोडी दूर अपनी उउपस्थिती छुपाते हुए गोपनीय ईशारे के इंतजार मे मुकीम रहा तथा अन्य ट्रेप दल के सदस्यों भी हमराह वाहन सहित अपनी उपस्थिती छुपाते हुए गोपनीय ईशारे के इंतजार मे मुकीम रहे। ततपश्चात वक्त 02-04 पीएम पर परिवादी श्री बादरराम ने रिश्वत राशि लेन-देन का पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा श्री भवानी सिह हैड कानि के मोबाईल पर वाटसअप काल पर प्राप्त होने के पश्चात मन पुलिस निरीक्षक व श्री लक्ष्मण दान एएसआई, श्री भवानी सिह हैड कानि, स्वतंत्र गवाह श्री ऋषभ जोशी एवं श्री भंवर सिह, मन पुलिस निरीक्षक के निजी वाहन मे गोपनीय ईशारे के इंतजार मे मुकीम शुदा गोपनीय स्थान से बीजागुडा पंचायत भवन व पटवार घर की तरफ रवाना होकर बीजागुडा पंचायत भवन व पटवार घर के बाहर बड के पेड के चबूतरे के पास पहुंचा जहां परिवादी श्री बादरराम व एक व्यक्ति बातचीत करते हुए दिखे। मन पुलिस निरीक्षक ने वाहन को बीजागुडा पंचायत भवन व पटवार घर के आगे बड के पेड के पास खडा कर हमराह ट्रेप दल के सदस्यों सहित वाहन से नीचे उतरे की परिवादी के पास ही खडे व्यक्ति को एसीबी टीम के आने का अंदेशा होने से वह व्यक्ति परिवादी के पास से पटवार घर के आगे से होता हुआ पास ही जंगल की तरफ भागा उस वयक्ति को भागता हुआ देख कर ब्यूरो टीम के सदस्य श्री लक्ष्मण दान एएसआई व श्री भवानी सिह हैड कानि उस व्यक्ति के पीछे भागे तथा मन पुलिस निरीक्षक व दोनो स्वतंत्र गवाहान, मन पुलिस निरीक्षक के वाहन से पटवार घर के पास स्थित जंगल व खेतों की तरफ बने कच्चे रास्ते होते हुए उस व्यक्ति की दस्तियाबी हेतु रवाना हुआ। वह व्यक्ति पटवार घर के पास स्थित जंगल के आगे स्थित खेतों मे भागता हुआ झाडियों मे ओझल हो गया। कुछ समय बाद ब्यूरो टीम के सदस्यों श्री लक्ष्मण दान एएसआई व श्री भवानी सिह हैड कानि ने उस व्यक्ति के पीछे भागते हुए खेतों मे दस्तयाब

किया। इसी दौरान मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान भी मन पुलिस निरीक्षक के निजी वाहन से उतरकर उस व्यक्ति के पास खेत मे पहूंचे। त्पश्चात ब्यूरो टीम के अन्य सदस्य श्री मनोहरलाल एएओ, श्री गोविंद वर्मा एएसआई, श्री पूनाराम कानि, श्री प्रमोद सिह कानि, श्री कुलदीप सिह कानि व परिवादी श्री बादरराम भी निर्देशानुसार खेत मे मौका स्थल पर उपस्थित आये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री बादरराम को रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त की वार्ता को रिकार्ड करने के लिए पूर्व मे दिया गया कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने कब्जे मे लिया। तत्पश्चात रिश्वत राशि लेन देन की सूचना पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देरावर सिह पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप मे हमराह आये हुए भी मौका स्थल खेत मे जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री नारायण सिह के उपस्थित आये। दस्तयाबशुदा एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी के पहनी हुई पेंट फटने व बांए हाथ मे खून आने के बारे मे पूछने पर बताया कि मै भागता हुआ खेत की तारबंदी से कूदा तब तारबंदी से अटक कर मेरी पेंट फट गई व तारबंदी के कंटीले तारों से मेरे बांए हाथ के भी कट लग गया जिस कारण हाथ मे खून आ रहा है। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने दस्तयाबशुदा व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मनीष कुमार मीना पुत्र श्री हनुमान मीना, जाति मीना, उम्र 26 वर्ष, निवासी गांव हींगोनिया बुजुर्ग, तहसील निवाई, पुलिस थाना दतवास, जिला टोंक हाल पटवारी पटवार हल्का लाणेरा, अतिरिक्त प्रभार पटवार हल्का खोडिया तहसील सोजत जिला पाली होना बताया। तत्पश्चात एसओ श्री मनीष् कुमार मीना को कुछ समय पहले परिवादी श्री बादरराम से रिश्वत राशि लेने के बारे मे व भागने के बारे मे पुछा तो बताया कि मै पटवार घर के आगे बड के पेड के पास खडा खडा बादरराम से बातचीत कर रहा था कि आपकी गाडी को मेरे पास रूकता हुआ देखा तो मुझे एसीबी टीम के आने की भनक लग जाने पर मै पकडे जाने के बचाव मे भागा था लेकिन आगे खेतों मे बडी बडी तारबंदी व कंटीली झाडिया होने से मै भाग नही पाया तथा मेरे पीछे पकडने के लिए भाग रहे एसीबी वालों ने मुझे पकड लिया। तत्पश्चात दस्तयाबशुदा श्री मनीष कुमार मीना पटवारी को पास ही खडे परिवादी श्री बादरराम की तरफ ईशारा कर उसके बारे मे पुछा तो उसने बताया कि हां मै इसे जानता हूं यह बादरराम है जो थोडी देर पहले पटवार घर के आगे मेरे से मिला था तथा इनके द्वारा खरीदी गई जमीन की तरमीम का काम मेरे पास लंबित है जो मेरे द्वारा करना है। श्री बादरराम ने आज पटवार घर के आगे मुझे दस हजार रूपये दिये जो मैने इनसे प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की साईड की बांयी जेब मे रखे। थोडी देर पहले ही मैने इनको फोन करके पटवार घर के पास ही बुलाया था। तत्पश्चात पास ही खडे परिवादी बादरराम को पूछने पर बताया कि थोडी देर पहले इन्होने मुझे फोन करके पूर्व मे मांगी गई रिश्वत राशि मे से बकाया राशि दस हजार रूपये प्राप्त करने के लिए मुझे बुलाया था जिस पर मै फिनोफथलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि दस हजार रूपये लेकर पटवार घर के आगे आया जहां पर श्री मनीष कुमार पटवारी जी खडे थे जिन्होने मेरे से रिश्वत राशि के बकाया दस हजार रूपये प्राप्त कर अपने हाथों से गिनकर पहनी हुई पेंट की साईड की बांयी जेब मे रखे। मेरे खरीदी गई जमीन की तरमीम का काम इनके पास लंबित है तथा तरमीम करने की एवज मे ही इन्होने मेरे से रिश्वत राशि पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा उक्त मांगी गई रिश्वत राशि मे से पांच हजार रूपये मैने मांग सत्यापन वार्ता के समय श्री मनीष जी को दे दिये थे तथा शेष राशि दस हजार रूपये आज इन्होने मेरे से प्राप्त किये। ततपश्चात एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी द्वारा फिनोफथलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि परिवादी श्री बादरराम से प्राप्त कर अपने हाथों से गिनकर अपने पहने हुए पेंट की जेब मे रखने से एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी के हाथों व पहनी हुई पेंट का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से हमराह वाहनों मे से ट्रेप बाक्स व कारवाई से संबंधित आवश्यक उपकरण व पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर अग्रिम धोवन की कारवाई मौके पर ही खेते मे करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात हमराह कार्यालय हाजा का मोबाईल जिसमे नया मैमोरी कार्ड डालकर मोबाईल से विडियोग्राफी हेतु श्री प्रमोद कुमार कानि को निर्देशित किया गया। ततपश्चात वक्त 02-25 पीएम पर धोवन की कारवाई प्रारंभ करते हुए मन पुलिस निरीक्षक ने दस्तयाब शुदा श्री मनीष कुमार मीना पटवारी को अपना व हमराहयान ब्यूरो स्टाफ व स्वतंत्र गवाह का परिचय देकर आने के मंतव्य से अवगत करवाया जाकर एसओ से परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात पास ही खडे परिवादी श्री बादरराम की तरफ ईशारा कर परिवादी के बारे मे पूछने पर बताया कि यह बादरराम है तथा मै इसे जानता हूं। तत्पश्चात एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी को परिवादी बादरराम से आज पटवार घर के आगे प्राप्त की गई रिश्वत राशि दस हजार रूपये के बारे मे पूछने पर बताया कि रिश्वत राशि दस हजार रूपये मेरे पर्स मे है तथा पर्स मैने खेत मे ईधर ही फैंका है। तत्पश्चात एसओ के हाथ धोवन की कारवाई हेतु ट्रेप बाक्स मे से प्लास्टिक के बडे पारदर्शी दो गिलास निकालकर दोनो गिलासों मे पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा उक्त दोनो गिलास मे एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त दोनो गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थितगण ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल अलग अलग गिलास के रंगहीन घोल मे मनीष कुमार मीना पटवारी के अलग अलग हाथ की अंगुलिया व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का मटमैला झांईदार व बांये हाथ मे कट लगने से खून आने के कारण बांए हाथ के धोवन का रंग हल्का लाल हो गया जिसे उपस्थित गण ने भी दोनो धोवन को हल्का मटमैला झांईदार व हल्का लाल होना स्वीकार किया उक्त दोनो हाथ के धोवन को अलग अलग कांच की चार शीशियों मे आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर चिटों पर अलग अलग हाथों का विवरण व कारवाई का विवरण अंकित किया जाकर मार्क RH -1 व RH -2 तथा

LH -1 व LH -2 अंकित किया गया तथा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर चारो शीशियों को कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मनीष कुमार पटवारी द्वारा परिवादी श्री बादरराम से प्राप्त की गई रिश्वत राशि बरामद करना आवश्यक है तथा एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी ने रिश्वत राशि अपने पर्स मे होना बताया तथा पर्स खेत मे फैंकना बताया जिसे तलाश करने पर खेत की फसल मे पडा मिला जिसे हमराह गवाह से उठवाया जाकर पर्स को चैक किया तो पर्स मे 17945/-रूपये होना पाया गया इस नोटों को पूर्व मे तेयार फर्द पेशकशी के नोटों से मिलान करवाया गया तो इन नोटों के नंबरों का मिलान पूर्व मे तैयार फर्द पेशकशी से नही होना पाया गया जिस पर एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी से रिश्वत राशि के बारे मे पुन तसल्ली देकर पूछा लेकिन परिवादी ने रिश्वत राशि कंही गिर जाना बताया। तत्पश्चात एसओ के उक्त पर्स व पर्स मे बरामद हुई राशि 17945/-रूपये गवाह श्री भंवर सिह को सुरक्षा हेतु संभलायी गई। तत्पश्चात विडियोग्राफी बंद करवायी जाकर रिश्वत राशि की तलाशी की गई तथा रिश्वत राशि के बारे मे एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी से पूछने पर उसने सही तथ्य नही बताते हुए इधर उधर गिर जाने की बहाने बाजी करते हुए एसीबी टीम को गुमराह करता रहा। तत्पश्चात एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर रिश्वत राशि को खुर्द बुर्द कर देने से रिश्वत राशि प्राप्ति हेतु पटवार घर के आगे से पास के जंगल व खेतों मे रिश्वत राशि बरामदगी हेतु तलाशी की गई। काफी देर तक जंगल व खेतों मे तलाशी के बाद पांच पांच सौ रूपये के चार नोट जंगल मे खडी झाडियों मे पडे मिले। उक्त नोटों को स्वतंत्र गवाह से उठवाया जाकर पूर्व मे तैयार फर्द पेशकशी से उक्त नोटों के नंबरों का मिलान किया गया तो नोटों के नंबर फर्द पेशकशी मे अंकित क्रम संख्या 01, 02,03 व 09 पर अंकित नोटों के नंबरों से हुबहू मिलान होना पाया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है। क्रम संख्यां - नोट का विवरण- नोटों के सीरियल नंबर 1 - एक नोट पांच सौ रूपये का 1WQ966224, 2 - एक नोट पांच सौ रूपये का 3CW254286, 3 - एक नोट पांच सौ रूपये का 0KB761765, 4 - एक नोट पांच सौ रूपये का 9PS602067, उपरोक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि 2,000/- रूपये के नंबरी नोटों को कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त लिफाफे को सफेद कपडे की एक थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क- R अंकित किया गया तथा थैली पर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। इस रिश्वत राशि बरामदगी की विडियोग्राफी भी कार्यालय हाजा के मोबाईल से करवायी गई। शेष रिश्वत राशि आठ हजार रूपये के बारे मे एसओ से तसल्ली पूर्वक पूछने के बावजूद भी एसओ ने रिश्वत राशि कहां पर फैंकी के बारे मे कोई तथ्य नही बताये। इस प्रकार के तथ्यों से प्रकट होता है कि एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी चालाक व होशियार प्रव्रति का व्यक्ति है और बचाव के पक्ष मे खुर्द बुर्द की गई रिश्वत राशि के बारे मे कोई तथ्य नही बता रहा है। तत्पश्चात रिश्वत राशि लेन देन घटना स्थल से एसओ के भागने वाले रास्ते व जंगल एवं खेतों मे काफी तलाश करने के बावजूद भी जंगल व खेत मे झाडी, बाड, घास फसल आदि होने से शेष रिश्वत राशि आठ हजार रूपये अथक प्रयासों के बावजूद भी बरामद नही हो सके तथा एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी भी खुर्द बुर्द की गई रिश्वत राशि के बारे मे कोई तथ्य नही बता रहा है अत इस कारवाई से संबंधित फर्द बरामदगी तैयार करना शेष होने से आवश्यक अग्रिम कारवाई हेतु लाईट की माकूल व्यव्स्था युक्त स्थल ग्राम पंचायत भवन मे करने का निर्णय लिया जाकर घटना स्थल खेत व जंगल से दस्तयाब शुदा एसओ श्री मनीष कुमार मीना पटवारी व अब तक की कारवाई से संबंधित मालखाना आईटम व ट्रेप कारवाई से संबंधित ट्रेप बाक्स उपकरण एवं आवश्यक सामग्री सहित रवाना होकर ग्राम पंचायत भवन बीजागुडा वक्त 05-25 पीएम पर पहुंचा तथा पंचायत भवन को खुलवाया जाकर आगे की कारवाई करना प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी द्वारा परिवादी बादरराम से रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहने हुए पेंट की साईड की बांयी जेब मे रखी थी तथा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात एसओ भाग गया था जो काफी दूर भागने के पश्चात खेतों मे दस्तयाब हुआ तथा इस दौरान एसओ ने रिश्वत राशि खुर्द बुर्द करने के भी प्रयास किये तथा रिश्वत राशि को छुपाने के मददेनजर पेंट की दोनो जेब मे रिश्वत राशि रखने की संभावना के मददेनजर एसओ के पहनी हुई पेंट की दोनों जेबों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एसओ के पहनने हेतु एक लोवर की व्यवस्था करवाई जाकर एसओ की पहनी हुई पेंट को उतरवाया जाकर लोवर पहनाया गया तथा एसओ के पेंट के दोनो जेबों के धोवन की कारवाई प्रारंभ कर प्लास्टिक के बडे पारदर्शी डिस्पोजल के दो गिलास मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त दोनो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थितगण ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल दोनो गिलास के रंगहीन घोल मे एसओ के पेंट की दाहिनी व बांयी जेब को उलटवाकर घोल मे डूबो डूबो कर धुलवाया गया तो पेंट के बांयी जेब का रंग गहरा गुलाबी व दाहिनी जेब का धोवन हल्का मटमैला हो गया जिसे उपस्थित गण ने भी बांयी गिलास के घोल को गहरा गुलाबी व दाहिनी गिलास के घोल को मटमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त दोनो गिलासों के घौल को अलग अलग कांच की चार शिशियों मे आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर चिटों पर कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाकर क्रमश मार्क PR-1 व PR -2, व PL-1 व PL -2 अंकित किया जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात उक्त पेंट भी वजह सबूत होने से पेंट की दोनो जेब को सुखोया जाकर पेंट की दोनों जेब पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेंट को कपडे की थैली मे सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क- P अंकित कर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को कब्जा ब्यूरो लिया गया। इस धोवन की कारवाई की विडियोग्राफी करवायी गई। तत्पश्चात एसओ श्री मनीष कुमार

मीना पटवारी द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से पांच हजार रूपये प्राप्त किये थे उक्त नोटों के फोटो खिचवाये जाकर फोटो का प्रिंट आउट लिया जाकर शामिल कारवाई किया था तथा मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि पांच हजार रूपये के नोट एसओ के पास होने की संभावना के मददेनजर एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी के पर्स मे मिली राशि के नोटों का मिलान पूर्व मे प्रिंट आउट फोटो से करवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के सात नोट कुल 3500/-रूपये के नोटों के नंबरों का मिलान होना पाया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है। क्रम संख्यां - नोट का विवरण- नोटों के सीरियल नंबर1 - एक नोट पांच सौ रूपये का 5BC025242, 2 - एक नोट पांच सौ रूपये का 4KM970575, 3 - एक नोट पांच सौ रूपये का 2LU579425, 4 - एक नोट पांच सौ रूपये का 5UW963162, 5 - एक नोट पांच सौ रूपये का 5AH477142, 6- एक नोट पांच सौ रूपये का 1WK977818, 7- एक नोट पांच सौ रूपये का 8KU971795, उपरोक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि 3,500/- रूपये के नंबरी नोटों को कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त लिफाफे को सफेद कपडे की एक थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क- R-1 अंकित किया गया तथा थैली पर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा शेष राशि 14445/- रूपये भी संदिग्ध होने से उक्त राशि भी कब्जा ब्यूरो ली गई जिसे खुली हालात मे रखा गया। तत्पश्चात एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी के पर्स की तलाशी लिवाई गई तो एसओ के पर्स मे नगद राशि के अलावा स्वयं का आधार कार्ड व पैन कार्ड एवं एसबीआई व एक्सीसी बैंक के एटीएम कार्ड मिले। उक्त पर्स मे मिली नगद राशि संदिग्ध होने से कब्जा ब्यूरो ली गई है जिसके अलावा एसओ का पर्स व पर्स मे मिले आधार कार्ड पैन कार्ड व दो एटीएम कार्ड जो कि कारवाई मे वजह सबूत नही होने से कब्जा ब्यूरो नही लिया गया जो एसओ के कहे अनुसार लौटाये जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावेगी। तत्पश्चात एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी को पूछने पर बताया कि मै आज मेरी मोटरसाईकिल से गुडा बीजा आया था तथा पटवार घर के बाहर बड के पेड के नीचे खडी मोटरसाईकिल मेरी ही है। एसओ की उक्त मोटरसाईकिल को देखने पर मोटरसाईकिल के हैंडल मे एक ब्लू कलर का पुराना बैग लटका मिला जिसे चैक करने पर बैग मे राजस्व रिकार्ड से संबंधित कागजात होना पाया गया। उक्त बैग व मोटरसाईकिल भी एसओ श्री मनीष कुमार पटवारी के कहे अनुसार व्यक्ति को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल कारवाई की जावेगी। एसओ श्री मनीष कुमार मीना पटवारी को परिवादी श्री बादरराम के लंबित कार्य के बारे मे पूछने पर बताया कि बादरराम ने पटवार हल्का खोडिया मे क्रषि भूमि खरीदी है जिसका म्यूटेशन खरीदने के पश्चात आनलाईन भर गया लेकिन बादरराम के बंटवारे का म्यूटेशन भरना शेष है जो मेरे द्वारा ही भरा जाना था लेकिन अभी तक मेरे द्वारा नही भरा गया है। बादरराम ने बंटवारे के म्यूटेशन के लिए कागज मुझे दिये थे जो मैने तहसीलदार सोजत से मार्क करवाया जाकर मेरे द्वारा जांच की जाकर म्यूटेशन की पीडीएफ फाईल मेरे मोबाईल मे पडी है जिसे एलआर आफिस से पोर्टल पर आनलाईन चढाना शेष है क्योंकि मैने पीडीएफ फाईल एलआर आफिस मे फारवर्ड नही की है। परिवादी बादरराम के म्यूटेशन की फाईल जो मैने मेरे मोबाईल मे पीडीएफ कर रखी है मूल फाईल तहसील आफिस सोजत मे कनिष्ठ सहायक श्री भवानी सिह को दी हुई है। एसओ श्री मनीष कुमार मीना पटवारी के कहे अनुसार परिवादी श्री बादरराम के बंटवारा म्यूटेशन की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां कारवाई मे वांछित होने से प्राप्ति बाबत तहसीलदार सोजत के मोबाईल नंबर मालूमात कर काल किया गया तो तहसीलदार सोजत का फोन बंद होना पाया जाने से परिवादी के लंबित कार्य से संबंधित पत्रावली प्राप्त करने मे असमर्थता रही जो आईंदा प्राप्त कर शामिल कारवाई की जावेगी। एसओ श्री मनीष कुमार के कहे अनुसार परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली की पीडीएफ फाईल एसओ के मोबाईल मे होने से उक्त पीडीएफ फाईल को एसओ के मोबाईल से प्रिंट आउट लिया जाकर शामिल कारवाई किया जावेगा तथा एसओ श्री मनीष कुमार मीना पटवारी का मोबाईल जिससे एसओ द्वारा परिवादी से वार्ता की गई है तथा वार्ता कर रिश्वत राशि लेन देन हेतु बुलाने से काल होने के तथ्य मोबाईल मे होने से उक्त मोबाईल को अनुसंधान के क्रम मे खुली हालात मे ही रखा जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा उक्त मोबाईल मे परिवादी व एसओ की वार्ता से संबंधित तथ्यों के स्क्रीन शाट लिये जाकर प्रिंट आउट निकाल कर शामिल कारवाई किये जायेंगे। उक्त मोबाईल वीवो कंपनी का स्क्रीन टच जिसके आईएमईआई नंबर तथा है तथा इस मोबाईल मे दो सीम दोनो ही जीओ कंपनी की जिसके मोबाईल नंबर व है। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कब्जे मे रखे कार्यालय हाजा के डिजिटल वायस रिकार्डर को चालू कर रिश्वत राशि लेन देन के वक्त की वार्ता को सुना तो रिश्वत राशि लेन देन संबंधि वार्ता होना पाया गया जिसकी फर्द ट्रांसिक्रिप्ट प्रथक से तैयार कर शामिल कारवाई करने का निर्णय लिया जाकर डिजिटल वायस रिकार्डर बंद कर मन पुलिस निरीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित रखा। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से श्री मनीष कुमार मीना पटवारी पटवार हल्का लाणेरा, अतिरिक्त प्रभार खाडिया, तहसील सोजत जिला पाली द्वारा परिवादी श्री बादरराम के खरीदशुदा क्रषि भूमि के बंटवारे का म्यूटेशन खोलने की एवज मे दौराने मांग सत्यापन रिश्वत राशि के रूप मे कुल 15,000/- रूपये रिश्वत राशि तय की गई जिसमे दौराने मांग सत्यापन 5000/-रूपये प्राप्त किये तथा मांग सत्यापन के अनुसरण मे शेष रिश्वत राशि 10,000/-रूपये आज दिनांक 21-08-2026 को प्राप्त कर अपने पहने हुए पेंट के बांयी जेब मे रखकर एसीबी टीम को नजदीक आता देख लेन देन मौका स्थल से पास ही स्थित जंगल व खेतों मे भाग गया तथा भागते हुए जंगल मे झाडियों के छुपाव मे अपने पास से रिश्वत राशि झाडियों मे फैंक दी जो तलाशी के दौरान एसओ द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत

राशि दस हजार के नंबरी नोटों मे से दो हजार रूपये के नंबरी नोट बरामद हुए तथा एसओ के पर्स मे मिली राशि के नोटों मे से भी मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त की गई रिश्वत राशि पांच हजार के नंबरी नोटों मे से 3500/-रूपये के नंबरी नोट बरामद होने से आरोपी मनीष कुमार मीना पुत्र श्री हनुमान मीना, जाति मीना, उम्र 26 वर्ष, निवासी गांव हींगोनिया बुजुर्ग, तहसील निवाई, पुलिस थाना दतवास, जिला टोंक हाल पटवारी पटवार हल्का लाणेरा, अतिरिक्त प्रभार पटवार हल्का खोडिया तहसील सोजत जिला पाली का उक्त क्रत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाने पर दिनांक- 22-08-2026 को समय- 12-35 एएम पर श्री मनीष कुमार मीना पटवारी को उसके जुर्म से आगाह कर विधिक प्रावधानानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी शामिल कार्यवाही की गई। इस कारवाई से संबंधित नक्शा मौका घटना स्थल तैयार किया जाना शेष है तथा अब रात्री का समय होने के कारण रोशनी की माकूल व्यवस्था नही होने से नक्शा मौका घटना स्थल सुबह मे तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात समय- 12-45 एएम पर मौके पर की जाने वाली संपूर्ण कारवाई संपादित हो जाने के पश्चात मन पुलिस निरीक्षक हमराह श्री लक्ष्मण दान एएसआई गवाह श्री भंवर सिह, श्री ऋषभ जोशी व परिवादी श्री बादरराम एवं कारवाई से संबंधित जब्त शुदा समस्त मालखाना वजह सबूत, लेन देन के समय की वार्ता रिकार्डशुदा डिजिटल वायस रिकार्डर एवं कारवाई की पत्रावली व कारवाई का विडियो रिकार्डिंग रिकार्डशुदा मोबाईल ट्रेप कारवाई से संबंधित सामग्री उपकरण ट्रेप बाक्स सहित समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री मनोहर लाल शर्मा एएओ श्री कुलदीप सिह कानि व श्री प्रमोद सिह कानि, श्री पूनाराम कानि, श्री गोविंद वर्मा एएसआई व श्री भवानी सिह हैड कानि मय गिरफताशुदा आरोपी श्री मनीष कुमार मीना पटवारी व पर्यवेक्षण के रूप मे हमराह श्रीमान देरावर सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री नारायण सिह कानि के हमराह लाये समस्त वाहनों सहित पंचायत भवन बीजागुडा से पाली ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना हुए तथा आरोपी श्री मनीष कुमार मीना पटवारी की मोटरसाईकिल पंचायत भवन मे सुरक्षित रखवाई गई जिसे आईंदा आरोपी के कहे अनुसार सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल कारवाई की जावेगी। तत्पश्चात समय- 02-20 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक उपरोक्त फिकरा के उपरोक्त हमराहयान एवं उपरोक्त फिकरा के मालखाना वजह सबूत एवं गिरफतारशुदा आरोपी श्री मनीष कुमार मीना पटवारी के रवाना शुदा ब्यूरो टीम के समस्त सदस्य हमराह वाहनों के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये तथा इस कार्यवाही से संबंधित जब्त शुदा आठ धोवन की शीशियां, रिश्वत राशि के दो पैकेट, रिश्वत राशि बरामदगी पार्चात आरोपी के पहनी हुई पेंट का पैकेट व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड सील शुदा पैकेट व इसी वार्ता के दे ा पैन ड्राई खूली हालात मे मालखाना प्रभारी श्री भवानी सिह हैड कानि को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया जाकर मालखाना रजिस्टर मे इंद्राज करवाया गया तथा रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त की वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शेष होने से इस वार्ता के रिकार्ड का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व विडियो रिकार्डिंग का रिकार्ड शुदा मोबाईल मय मैमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को सुबह जल्दी 07-00 एएम पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने के लिए पाबंद कर रात्री विश्राम के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय- 02-25 एएम पर गिरफतारशुदा आरोपी श्री मनीष कुमार मीना पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने चिकित्साधिकारी के नाम तहरीर एवं सुरक्षा की द्रष्टि से पुलिस थाना कोतवाली के हवालात मे जमा करवाने के लिए थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली के नाम से तहरीर जारी कर मन मोहम्मद हनीफ पुलिस निरीक्षक व श्री पूनाराम कानि जरिये सरकारी वाहन मय श्री नारायण सिह कानि चालक के राजकीय बांगड चिकित्सालय पाली व पुलिस थाना कोतवाली पाली के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 03-00 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन मोहम्मद हनीफ पुलिस निरीक्षक उपरोकत फिकरा के हमराहयान के गिरफतारशुदा आरोपी श्री मनीष कुमार मीना पटवारी का स्वास्थ्य परिक्षण करवाकर सुरक्षा की द्रष्टि से पुलिस थाना कोतवाली की हवालात मे जमा करवाकर प्राप्ती रसीद प्राप्त कर उपस्थित आया। कार्यालय हाजा के समस्त ब्यूरो स्टाफ को रात्री विश्राम की इजाजत दी गई। तत्पश्चात समय- 08-00 एएम पर पूर्व के पाबंदशुदा दोनो गवाहान कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये तथा परिवादी श्री बादरराम भी निर्देशानुसार कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। दोनो गवाह व परिवादी श्री बादरराम के रूबरू रिश्वत राशि लेन देन से पूर्व दिनांक 19-08-2026 व 21-08-2026 को परिवादी व आरोपी पटवारी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता व दिनांक 21-08-2026 को रूबरू हुई वार्ता की फर्द ट्रांसिक्रप्ट तैयार किया जाना शेष होने से उक्त रिकार्डिंग वार्ता का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित है। उक्त रिकार्डर को कार्यालय हाजा के लैपटाप से कनेक्ट कर उपरोक्त वार्ता को साफटवेयर की मदद से लैपटाप के इनबिल्ड स्पीकर से सुन सुन कर समझ समझ कर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व दिनांक 19-08-2026 व 21-08-2026 को परिवादी व आरोपी पटवारी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता व दिनांक 21-08-2026 को रूबरू हुई वार्ता मुर्तिब करना वक्त 08-30 एएम पर प्रारंभ किया गया, जो वक्त 11-15 एएम तक पूर्ण कर फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। इस वार्ता को दो पैन ड्राईव मे डालकर डब कापी तैयार की गई तथा इस वार्ता की हेस वेल्यु निकाली गई तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत प्रमाण पत्र मन पुलिस निरीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। इस वार्ता की फर्द का टंकण श्री पूनाराम कानि से करवाया गया। तत्पश्चात इस वार्ता के मूल मैमोरी

कार्ड डिजिटल वायस रिकार्डर मे से निकालकर एक प्लास्टिक की डिब्बी मे डालकर डिब्बी को कपडे की थैली मे शील्ड किया गया तथा दोनो डब पैन ड्राईव को खुली हालत मे रखा जाकर कब्जा ब्यूरो लिया। तत्पश्चात समय- 11-20 एएम पर धोवन की कारवाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी की कारवाई की विडियोग्राफी कार्यालय हाजा के मोबाईल से करवायी गई थी उक्त मोबाईल मन पुलिस निरीक्षक के कब्जे मे है जिसमे से मैमोरी कार्ड निकालकर रिकार्डिंग विडियो को एक पैन ड्राईव मे कापी करवाया गया विडियोग्राफी के मैमोरी कार्ड को प्रथक से जरिये फर्द जब्ती जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। मूल मैमोरी कार्ड का सील्ड किया गया तथा डब पैन ड्राईव खुली हालात मे रखा गया। तत्पश्चात समय- 11-50 एएम पर रिश्वत राशि लेन देन से पूर्व व लेन देन के वक्त की वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड सील्ड शुदा पैकेट व इसी वार्ता के दो पैन ड्राईव खुली हालात व ट्रेप कारवाई से संबंधित विडियो रिकार्डिंग का मूल मैमोरी कार्ड सील्ड शुदा व इसी रिकार्डिंग का एक पैन ड्राईव खुली हालात मे जो कि मन पुलिस निरीक्षक के कब्जे मे है जिनको मालखाना प्रभारी श्री भवानी सिह हैड कानि को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया जाकर मालखाना रजिस्टर मे इंद्राज करवाया गया। ततपश्चात समय- 12-15 पीएम पर कार्यवाही से संबंधित जब्त किये गये वजह सबूत के पैकेट व शीशियों को शील्ड करने मे प्रयोग मे ली गई पीतल की सील का नमूना फर्द प्रथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय- 12-20 पीएम पर गिरफतार शुदा आरोपी श्री मनीष कुमार मीना पटवारी को पुलिस थाना कोतवाली पाली मे सुरक्षा की द्रष्टि से जमा करवाया गया था जिसको लेन मन पुलिस निरीक्ष्ाक हमराह श्री पूनाराम कानि व गोविंद वर्मा एएसआई जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री नारायण सिह कानि के पुलिस थाना कोतवाली पाली के लिए रवाना हुआ। ततपश्चात समय- 12-30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्ष्ाक उपरोक्त हमराहयान के उपरोकत फिकरा का गया हुआ पुलिस थाना कोतवाली पाली से आरोपी श्री मनीष कुमार को प्राप्त कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। तत्पश्चात समय- 12-35 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका फर्द तैयार करना शेष होने से मन पुलिस निरीक्षक हमराह स्वतंत्र गवाह श्री भंवर सिह व ऋषभ जोशी व परिवादी श्री बादरराम एवं ब्यूरो स्टाफ श्री गोविंद वर्मा एएसआई श्री नारायण सिह कानि चालक, जरिये सरकारी वाहन बोलेरो के गांव बीजागुडा के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 01-30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक उपरोक्त फिकरा के हमराहयान के रवानाशुदा घटना स्थल पटवार घर बीजागुडा के आगे स्थित बड के पेड के पास पहूंचा जहां पर परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान की मौजुदगी मे फर्द घटना स्थल नक्शा मौका वक्त 01-35 पीएम पर मुर्तिब करना प्रारंभ किया गया। नक्शा मौका घटना स्थल तैयार करते समय दिन का समय होने से रोशनी की माकूल व्यवस्था है। फर्द नक्शा मौका तैयार कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कारवाई किया गया बाद नक्शा मौका के घटना स्थल से हमराहयान सहित ब्यूरो चौकी पाली के लिए वक्त 03-00 पीएम पर रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 04-05 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक उपरोक्त फिकरा के उपरोक्त हमराहयान के रवानाशुदा नक्शा मौका घटना स्थल मुर्तिब कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। तत्पश्चात समय- 04-40 पीएम पर संपूर्ण कार्यवाही संपादित हो जाने पर दोनो स्वतंत्र गवाह व परिवादी को अपने अपने सकूनत के लिए रवाना किया गया।उपरोक्त तथ्यों एवं एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से आरोपी श्री मनीष कुमार मीना पटवारी पटवार हल्का लाणेरा, अतिरिक्त प्रभार खाडिया, तहसील सोजत जिला पाली द्वारा परिवादी श्री बादरराम के खरीदशुदा क्रषि भूमि के बंटवारे का स्यूटेशन खोलने की एवज मे दौराने मांग सत्यापन रिश्वत राशि के रूप मे कुल 15,000/-रूपये रिश्वत राशि तय की गई जिसमे दौराने मांग सत्यापन 5000/-रूपये प्राप्त किये तथा मांग सत्यापन के अनुसरण मे शेष रिश्वत राशि 10,000/-रूपये आज दिनांक 21-08-2026 को प्राप्त कर अपने पहने हुए पेंट के बांयी जेब मे रखकर एसीबी टीम को नजदीक आता देख लेन देन मौका स्थल से पास ही स्थित जंगल व खेतों मे भाग गया तथा भागते हुए जंगल मे झाडियों के छुपाव मे अपने पास से रिश्वत राशि झाडियों मे फैंक दी जो तलाशी के दौरान एसओ द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि दस हजार के नंबरी नोटों मे से दो हजार रूपये के नंबरी नोट बरामद हुए तथा एसओ के पर्स मे मिली राशि के नोटों मे से भी मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त की गई रिश्वत राशि पांच हजार के नंबरी नोटों मे से 3500/-रूपये के नंबरी नोट बरामद होने से आरोपी मनीष कुमार मीना पुत्र श्री हनुमान मीना, जाति मीना, उम्र 26 वर्ष, निवासी गांव हींगोनिया बुजुर्ग, तहसील निवाई, पुलिस थाना दतवास, जिला टोंक हाल पटवारी पटवार हल्का लाणेरा, अतिरिक्त प्रभार पटवार हल्का खोडिया तहसील सोजत जिला पाली का उक्त क्रत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। आरोपी श्री मनीष कुमार मीना पटवारी को विधिक प्रक्रिया अनुसार जरिये फर्द प्रथक से गिरफतार किया जा चूका है। अत आरोपी श्री मनीष कुमार मीना पुत्र श्री हनुमान मीना, जाति मीना, उम्र 26 वर्ष, निवासी गांव हींगोनिया बुजुर्ग, तहसील निवाई, पुलिस थाना दतवास, जिला टोंक हाल पटवारी पटवार हल्का लाणेरा, अतिरिक्त प्रभार पटवार हल्का खोडिया तहसील सोजत जिला पाली के विरूदध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये जाने से बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे। भवदीय (मोहम्मद हनीफ) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली दितीय ............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मोहम्मद हनीफ, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी मनीष कुमार मीना पुत्र श्री हनुमान मीना, जाति मीना, उम्र 26 वर्ष, निवासी गांव हींगोनिया बुजुर्ग, तहसील निवाई, पुलिस थाना दतवास, जिला टोंक हाल पटवारी पटवार हल्का लाणेरा, अतिरिक्त प्रभार पटवार हल्का खोडिया तहसील सोजत जिला पाली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 382 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1385-88 दिनांक 23.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- जिला कलक्टर,पाली 3-पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर 34 अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** DHARMENDRA DUKIYA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**
**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/08/2026 22:02:26

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** GORDHAN LAL SONKARIA
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 2000 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)